कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 838/12-1 दिनांक, मसूरी 30, -08-2019।

सेवा में,

State Co-Ordinating,
Reliance Jeo, Infocomm Limited
प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी0एम0एस0रोड़, निरजंनपुर
देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल में लग्छौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) - 21.6 किमी0, धनोल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड़)- 26.30 किमी0 कुल 47.90 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे- किनारे भूमिगत ऑप्टिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.370है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Reliance Jeo, Infocomm Limited** को लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/OFC/41591/2019 दिनांक 26-08-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जो इस कार्यालय में दिनांक 30-08-2019 को आनॅलाईन प्राप्त हुआ। ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जॉच / परीक्षण उपरान्त निम्न कमियॉ पायी गयी। परीक्षोपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव पर कतिपय कमियों के निराकरण हेतु इस आशय से लौटाया जा रहा है। कृपया प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से ऑनलाईन प्रस्ताव में कतिपय कमियों का निराकरण कर वांछित अभिलेख /सूचनाऐं ऑनलाईन भाग-I में अपलोड करने का कष्ट करें:-

1- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा B-2.3 में क्षेत्रवार /ग्रामवार प्रभावित कुल 0.37 है0 वन भूमि क्षेत्रवार /ग्रामवार यथास्थान अपलोड किया जाय।

2- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा C(iv) & (v) Map of forest land proposed to be diverted में Topo Sheet 1:50000 पैमाने एंव Geo refrence map को प्रयोक्ता एजेन्सी एव प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा बिना समुहर हस्ताक्षर के अपलोड किये गये है। कृपया परियोजना से सम्बन्धित Topo Sheet 1:50000 पैमाने एंव Geo refrence map को प्रयोक्ता एजेन्सी एंव प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा समुहर हस्ताक्षर के ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा C(iv) & (v) मे यथास्थान अपलोड किया जाय।

3- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा D(i) में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Justification यथास्थान अपलोड की किया जाय।

4- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा K(a) में अपलोड अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् उप खण्ड स्तरीय समिति जारवणीधार सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रारूप-30.2 में बैठक की तिथि व उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है। कृपया उक्त पसको न ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किया गया है। कृपया वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय आपत्ति प्रमाण-पत्र मे बैठक की तिथि व उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तत्संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा K(a) में यथास्थान अपलोड की किया जाय।

5- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा Additional information Details के कम सं0 6 में फैक्ट शीट अधूरी अपलोड की गयी है। कृपया सम्पूर्ण फैक्ट शीट को यथास्थान अपलोड की किया जाय।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।